प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर   दिनांक 13.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर गौकशों (01 घायलावस्था) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस व गौकशी के लिए प्रयुक्त उपकरण एक दाव, 03 छुरी, 02 नुकीली कील व एक गाडी होन्डा सिटी तथा 01 गौवंश बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा दिनांक 13.05.2025 को समय करीब 00.30 बजे शान्ति व्यवस्था व वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु डोला गौसपुर मार्ग पर चैकिंग की जा रही थी, तभी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गौकशी करने के लिए एक गौवंश को लेकर जा रहे हैं। सूचना पर थाना सिंघावली अहीर पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए इन गौकशों का पीछा किया गया तथा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे

पुलिस पार्टी बाल-बाल बची। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों (01 घायलावस्था) को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा (एक .12 बोर व एक .315 बोर) मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस (.315 बोर व .12 बोर) व गौकशी के लिए प्रयुक्त उपकरण एक दाव, 03 छुरी, 02 नुकीली कील व एक गाडी होन्डा सिटी बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 178/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/8 गौवध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-विक्की पुत्र तौफीक निवासी तशातपुर मियां सराय संभल थाना कोतवाली संभल जनपद संभल
हाल पता वेलकम फोटो चौक लकड़ी मार्किट जाफराबाद दिल्ली। (घायल)
2-जैद पुत्र आसिफ निवासी मिंया सराय संभल थाना कोतवाली संभल जनपद सम्भल हाल पता मौजपुर मेट्रो स्टेशन नीयर यमुना बिहार थाना जाफराबाद दिल्ली।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 अवैध तमंचा (एक .12 बोर व एक .315 बोर) मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस (.315 बोर व .12 बोर)
- गौकशी के लिए प्रयुक्त उपकरण एक दाव, 03 छुरी, 02 नुकीली कील।
- एक गाडी होन्डा सिटी नं0 DL-8CNA-5587
- 01 गौवंश।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्की पुत्र तौफीक का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 52/20 धारा 377 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली संभल जनपद संभल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थानाध्यक्ष श्री सोनवीर सिंह सोलंकी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री प्रियवृत आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6-उ0नि0 श्री पुलकित सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
7-है0का0 294 नरेन्द्र नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
8-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
9-का0 408 सुमित सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
10-का0 995 अभय प्रताप थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 13.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 168/25 धारा 87/61(2)/64(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 168/25 धारा 87/61(2)/64(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर द्वारा दिनांक 06.05.2025 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम आलम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम रसूलपुर सांकलपुट्ठी थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 223 सचिन यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-है0का0 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।